संख्या-2392/23-1-2013-72सा0/12

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
वित्त/ग्रामीण अभियंत्रण/
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास/
पंचायतीराज/कृषि विपणन एवं
कृषि विदेश व्यापार/ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

2. प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 21 नवम्बर, 2013

विषय- प्रदेश के समस्त ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु "उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013" का निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश में ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास, त्वरित आवागमन, कृषि व औद्योगिक उत्पादों के उचित विपणन तथा सुचारू वितरण हेतु सुदृढ़ मार्ग व्यवस्था अपरिहार्य है। इसके लिए प्रदेश में ग्राम सम्पर्क मार्गों को मुख्य मार्गों से जोड़ना एवं इनका नियमित रख-रखाव एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश में स्थित ग्राम सम्पर्क मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग (राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद) तथा पंचायतीराज विभाग(जिला पंचायत) द्वारा कराया जाता है। वर्तमान में ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु कोई समेकित एवं व्यापक नीति विद्यमान नहीं है तथा ग्राम सम्पर्क मार्गों की कुल लम्बाई के अनुसार समुचित वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त ग्राम सम्पर्क मार्गों के नियमित अनुरक्षण हेतु 'उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013' निम्नवत् निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

'उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013'

1. परिभाषाएं (1) **"प्रदेश"** से अभिप्राय उत्तर प्रदेश से है।

(2) **"ग्राम सम्पर्क मार्ग"** से अभिप्राय ऐसे मार्गों से है, जो ग्रामों अथवा ग्राम-समूहों को एक दूसरे से तथा उन्हें समीपवर्ती किसी उच्चतर श्रेणी के मार्ग से जोड़ता हो।

(3) **"अनुरक्षण"** से अभिप्राय ग्राम सम्पर्क मार्गों की सामान्य मरम्मत/ विशेष मरम्मत/सतह नवीनीकरण से है जिसमें मिट्टी के कार्य द्वारा तटबन्ध एवं पटरी सुधार भी सम्मिलित है।

...2/-

2. उद्देश्य (1) प्रदेश के समस्त ग्राम सम्पर्क मार्गो को मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार निरन्तर अनुरक्षित किया जाना तथा निर्धारित समय चक्रानुक्रम के आधार पर मार्ग की सतह का नवीनीकरण किया जाना।

3. नीतिगत सिद्धान्त (1) जिस विभाग द्वारा ग्राम सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जायेगा(ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को छोड़कर), उक्त मार्ग उसी विभाग के पारम्परिक स्वामित्व का माना जायेगा तथा मार्ग के अनुरक्षण का दायित्व भी उसी विभाग का होगा।

(2) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा विभागों/संस्थाओं के बजट से निर्मित ग्राम सम्पर्क मार्गो पर पंचायतीराज विभाग का स्वामित्व माना जायेगा।

(3) विशेष परिस्थिति में अपवाद स्वरूप यदि किसी विभाग द्वारा पूर्व निर्मित मार्ग पर दूसरे विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य कराया जाना है तो इस संबंध में दो विकल्प होंगे:-

(i) दोनों विभागों द्वारा पारस्परिक सहमति से पैतृक विभाग से मार्ग का हस्तान्तरण होने के पश्चात अनुरक्षण कार्य कराया जायेगा।

अथवा

(ii) पैतृक विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात दूसरे विभाग द्वारा मार्ग का अनुरक्षण कार्य कराया जा सकेगा।

(4) सुगम यातायात हेतु समस्त ग्राम सम्पर्क मार्गो को निरन्तर अनुरक्षित रखा जायेगा। मार्गो के अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित 'मेंटेनेन्स मैनुअल' के अनुसार कार्य कराया जायेगा। ग्राम सम्पर्क मार्गो के अनुरक्षण के लिए यदि 'मेंटेनेन्स मैनुअल' में संशोधन की आवश्यकता होगी तो लोक निर्माण विभाग की उच्चस्तरीय तकनीकी समिति की बैठक कर आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे जिसमें अन्य चारों विभागों के तकनीकी विशेषज्ञ विशेष-आमंत्री के रूप में सम्मिलित रहेंगे।

(5) ग्राम सम्पर्क मार्गो पर सतह नवीनीकरण का कार्य सामान्यतः 8 वर्ष के चक्रानुक्रम के अनुसार किया जायेगा परन्तु काफी समय से पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध न हो पाने के कारण ग्राम सम्पर्क मार्गो की स्थिति जीर्ण-शीर्ण है। अतः ग्राम सम्पर्क मार्गो के सतह नवीनीकरण/विशेष मरम्मत हेतु विभागवार निम्नवत आकलन किया जायेगा :-

...3/-

(i) विभागों द्वारा निर्मित मार्ग जो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुके हैं, खड़ंजा स्तर के हैं अथवा सीमेन्ट कांक्रीट स्तर तक निर्मित हैं, उनको कुल लम्बाई में से घटाते हुए नवीनीकरण/विशेष मरम्मत की लम्बाई निर्धारित की जायेगी।

(ii) उपर्युक्तानुसार नवीनीकरण/विशेष मरम्मत हेतु निर्धारित लम्बाई में से सामान्यतः 2/3 लम्बाई में सतह नवीनीकरण एवं शेष 1/3 लम्बाई में विशेष मरम्मत का कार्य कराया जायेगा।

(iii) विभागों द्वारा ऐसे पूर्व निर्मित मार्ग जो उपर्युक्त प्रस्तर-3(5)(i) से आच्छादित हैं, का संबंधित विभाग द्वारा यथावश्यकता पुनर्निर्माण कराया जायेगा।

(6) ग्राम सम्पर्क मार्गों के सतह नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत का कार्य निम्नलिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा :-

(i) यदि ग्राम सम्पर्क मार्ग पर पूर्व निर्मित सतह प्रीमिक्स कारपेट की है तो निर्धारित समयावधि अर्थात 08 वर्ष के पश्चात मार्ग पर प्रथम सतह एवं द्वितीय सतह लेपन द्वारा ही नवीनीकरण का कार्य कराया जायेगा।

(ii) यदि मार्ग पूर्व से ही द्वितीय सतह लेपन तक निर्मित है तो नवीनीकरण का कार्य भी द्वितीय सतह लेपन द्वारा किया जायेगा।

(iii) यदि पूर्व निर्मित ग्राम सम्पर्क मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त है तो विशेष मरम्मत के अन्तर्गत उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के पश्चात क्षतिग्रस्त भाग पर लेवलिंग कोट देते हुए प्रथम सतह लेपन करने के पश्चात द्वितीय सतह लेपन द्वारा कार्य कराया जायेगा। कार्य करने के पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात मार्ग के फोटोग्राफ भी संबंधित अभिलेखों में रखे जायेंगे।

(iv) ग्राम सम्पर्क मार्गों पर नवीनीकरण/विशेष मरम्मत कार्य का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 02 वर्ष होगा।

(v) ग्राम सम्पर्क मार्गों की जिस लम्बाई में नवीनीकरण/विशेष मरम्मत का कार्य कराया जायेगा, उस भाग पर आगामी 02 वर्षों तक सामान्य मरम्मत हेतु कोई धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

(vi) ग्राम सम्पर्क मार्गों की जिस लम्बाई में नवीनीकरण/विशेष मरम्मत का

...4/-

कार्य कराया गया है, उस भाग पर 02 वर्षों के पश्चात आवश्यकतानुसार प्रत्येक वर्ष अधिकतम 10 प्रतिशत लम्बाई में मरम्मत आदि के कार्य अनुमन्य होंगे।

(vii) प्रशासकीय विभागों द्वारा अनुरक्षण कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्य-योजना बनाते हुए सतत् अनुश्रवण किया जायेगा।

4. वित्तीय संसाधन

(1) (i) कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग (राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद) द्वारा अपने ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण का कार्य परिषद के वित्तीय संसाधनों से कराया जायेगा।

(ii) ग्राम सम्पर्क मार्गों की सामान्य मरम्मत का कार्य चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा गन्ना विकास समितियों/परिषदों के धन से ही कराया जायेगा। मार्गों के सुदृढ़ीकरण हेतु आकलित/ अनुमानित धनराशि का 20 प्रतिशत गन्ना समितियों/लाभार्थी संस्थाओं से वित्त पोषित किया जायेगा तथा शेष 80 प्रतिशत धनराशि पूंजीगत पक्ष से राज्यांश के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

(iii) पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्मित ग्राम सम्पर्क मार्गों का अनुरक्षण पंचायतीराज विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग से संक्रमित धनराशि से किया जायेगा।

(iv) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा विभागों/संस्थाओं के बजट से निर्मित ग्राम सम्पर्क मार्गों पर पंचायतीराज विभाग का स्वामित्व माना जायेगा तथा उक्त मार्गों का अनुरक्षण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा पंचायतीराज विभाग के माध्यम से प्राप्त धनराशि से डिपाजिट कार्य के रूप में किया जायेगा।

(v) लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य केन्द्रीय वित्त आयोग एवं प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय संसाधनों से कराया जायेगा।

(vi) प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुरक्षण हेतु जो कार्य स्वीकृत किए जायेंगे उनसे संबंधित पूर्ण धनराशि यथासम्भव एक बार में ही अवमुक्त की जायेगी जिससे 'टाइम ओवर रन' एवं 'कास्ट ओवर रन' न हो।

...5/-

5. ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण प्रबन्धन प्रणाली

(1) (i) ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग होगा व जनपद स्तर पर प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग नोडल खण्ड होगा। प्रत्येक विभाग द्वारा किसी भी नये ग्राम सम्पर्क मार्ग के निर्माण अथवा पूर्व निर्मित ग्राम सम्पर्क मार्ग के सुधार/सुदृढ़ीकरण कार्य की सूचना जनपदीय प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ताकि कार्यों की दोहरी स्वीकृति की सम्भावना न रहे।

(ii) समस्त विभागों द्वारा खण्ड/इकाई तथा राज्य स्तर पर ग्राम सम्पर्क मार्गों की इन्वेन्ट्री को इलेक्ट्रॉनिकली सुरक्षित अर्थात कम्प्यूटरीकृत डाटा बैंक के रूप में रखा जायेगा तथा समय-समय पर इसे अपडेट किया जायेगा। प्रत्येक विभाग द्वारा जनपद स्तर पर प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग को उक्त कम्प्यूटरीकृत डाटा बैंक (इन्वेन्ट्री) अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक विभाग द्वारा ऐसी अपडेटेड कम्प्यूटरीकृत डाटा बैंक(इन्वेन्ट्री) केन्द्रीय रूप से लोक निर्माण विभाग मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त डाटा बैंक को केन्द्रीकृत कर रखा जायेगा। उक्त डाटा बैंक में मार्ग का नाम, मार्ग की सतह का प्रकार, मार्ग की लम्बाई, मार्ग के लेपित सतह की चौड़ाई, मार्ग की कस्ट की मोटाई, सबग्रेड में मिट्टी के इंजीनियरिंग गुण, स्थाई भूमि, पुल/पुलियों का विवरण, मार्ग का निर्माण/ नवीनीकरण का माह व वर्ष, मार्ग की वर्तमान दशा, मार्ग पर यातायात घनत्व, आदि विवरण रहेंगे।

(iii) ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु मार्गों का चयन लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित 'रोड कंडीशन इनडेक्स' (आर0सी0आई0) पर आधारित मार्गों की स्थिति, स्थानीय आवश्यकताओं एवं जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर किया जायेगा।

(iv) विभागों द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 08 वर्षीय चक्रानुक्रम के आधार पर माह मार्च तक नवीनीकरण संबंधी कार्य-योजना अन्तिम की जायेगी तथा विशेष मरम्मत संबंधी कार्य-योजना दो चरणों में माह मार्च तथा माह अक्टूबर में अन्तिम की जायेगी।

(v) प्रत्येक विभाग द्वारा अपने ग्राम सम्पर्क मार्गों को क्लब करते हुए

...6/-

उपलब्ध संसाधनों तथा आवश्यकता के अनुसार क्षेत्र विशेष निर्धारित करते हुए 'बैच मेंटेनेन्स कान्ट्रैक्ट' जैसी व्यवस्था लागू की जायेगी।

(vi) उक्त कार्यों के समुचित अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा जिसकी बैठक प्रत्येक 03 माह में अनिवार्य रूप से आहूत की जायेगी। यह समिति मार्गों के अनुरक्षण हेतु तैयार की गई कार्य-योजना, तत्संबंधी निर्गत शासनादेश, उपलब्ध वित्तीय स्वीकृतियों आदि के संबंध में अनुश्रवण करेगी।

(vii) शासन स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया जायेगा जो विभागों द्वारा ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु बनाई गई कार्य-योजना एवं उसके समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। इस समिति की बैठक प्रत्येक 06 माह में अनिवार्य रूप से आहूत की जायेगी।

(viii) इस नीति के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न भ्रम की स्थिति में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति निर्णय लेगी जो समस्त संबंधित विभागों पर लागू होगा। इस नीति में आवश्यक संशोधन उच्च स्तरीय समिति की अनुसंशा पर किये जा सकेंगे।

6. कार्य क्षेत्र (1) (i) यह नीति समस्त संबंधित विभागों पर लागू होगी।

(ii) यह नीति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पी0एम0जी0एस0वाई0) के अन्तर्गत निर्मित मार्गों पर निर्धारित अनुरक्षण अनुबन्ध अवधि तक लागू नहीं होगी। इन मार्गों के लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण होने के उपरान्त लोक निर्माण विभाग द्वारा इस नीति के अन्तर्गत अनुरक्षण किया जायेगा।

2- कृपया प्रदेश के समस्त ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु उपर्युक्त निर्धारित नीति के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

...7/-

संख्या-2392(1)/23-1-13-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार प्रथम (निर्माण), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4. वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग को इस आशय से प्रेषित की विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. लोक निर्माण विभाग के समस्त अनुभाग।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
7. गार्ड फाईल।

07-11-13

आज्ञा से,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 13/2015 / पी-180/अड़तीस-9-2015-87(पीएमजीएसवाई)/2008

प्रेषक

अरूण सिंघल
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक- 16 अप्रैल, 2015

विषय-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण के सम्बन्ध में मूल शासनादेश संख्या-1143/अड़तीस-1-2008-87(पीएमजीएसवाई)/2008, दिनांक-27.11.2008 के प्राविधानों को और अधिक व्यवहारिक व प्रभावी बनाने के लिए प्रस्तर-6 व 9 में संशोधन।

महोदय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर-17.2 में सड़कों के निर्माण के पश्चात् 5 वर्ष तक उनका अनुरक्षण निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा ही किया जाना है, जिसकी व्यवस्था अनुबन्ध में ही की जाती है, तथा अनुरक्षण मद में होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

2- उल्लेखनीय है कि विधान सभा प्राक्कलन समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 में दिनांक 20 जून, 2008 तथा 23 अक्टूबर, 2008 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा हेतु विभागीय साक्ष्य में यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया कि योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की स्थिति बहुत खराब हो गयी है, जिसका कारण सड़कों का अनुरक्षण न होना रहा है। उक्त समिति में उपस्थित समिति के सदस्यों (मा0 सदस्य विधान सभा गण) द्वारा भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों के असंतोषजनक अनुरक्षण का बिन्दु प्रमुखता से उठाया गया है। दिनांक-23 अक्टूबर, 2008 को आयोजित प्राक्कलन समिति में मा0 सभापति तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा असंतोषजनक अनुरक्षण पर अत्यन्त रोष व्यक्त किया गया।

3- उक्त के अतिरिक्त विभागीय समीक्षा बैठकों के दौरान यह भी संज्ञान में आया है कि अनेक प्रकरणों में बार-बार नोटिस दिये जाने के बाद भी ठेकेदारों द्वारा निर्मित सड़कों के अनुरक्षण में रूचि नहीं ली जा रही है। उनकी उक्त उदासीनता तथा अरूचि के कारण अनेक ठेकेदारों की जमानत की धनराशि भी जब्त की गयी है परन्तु अनुरक्षण कार्य कराये जाने की

-2/

वैकल्पिक प्रक्रिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित न होने के कारण उसका भी उपयोग नहीं किया जा पा रहा है। परिणामतः अनुरक्षण अभाव में जहाँ निर्मित सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, वहीं राज्य के आय-व्ययक में उपलब्ध धनराशि का भी व्यय नहीं किया जा पा रहा है। उक्त के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही उन समस्त मार्गों के अनुरक्षण हेतु वांछित धनराशि सम्बन्धित पी0आई0यू0 को निर्गत कर दी जायेगी, जिन पर निर्माण कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को उपलब्ध करा दिये गये हैं एवं इस हेतु पी0आई0यू0 द्वारा अनुरक्षण के सी0सी0एल0 की मांग की प्रतीक्षा नहीं की जायेगी।

4- वर्तमान में स्टैण्डर्ड बिड डाक्यूमेन्ट (एस0बी0डी0) में योजनान्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित की गयी है:-

(1)- स्टैण्डर्ड बिड डाक्यूमेन्ट (एस0बी0डी0) के प्रस्तर-32.1.1 के अन्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्ग पर किसी प्रकार की क्षति पाये जाने पर उसके निराकरण हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा ठेकेदार को उक्त क्षति को निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत ठीक कराने हेतु नोटिस दिया जायेगा।

(2)- सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा नोटिस में दी गयी अवधि के अन्दर निर्दिष्ट मार्ग पर अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

(3)- स्टैण्डर्ड बिड डाक्यूमेन्ट (एसबीडी) के प्रस्तर-32.2.1 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ठेकेदार द्वारा पाँच वर्ष तक सम्पर्क मार्ग के अनुरक्षण का कार्य किया जायेगा तथा मार्ग को निर्धारित मानकों (जैसा कि प्रस्तर-1.1 में वर्णित् है) के अनुरूप रक्खा जायेगा।

(4)- यदि नोटिस प्राप्त होने के बाद भी ठेकेदार द्वारा क्षति का सुधार संतोषजनक ढंग से नहीं किया जाता है, तो सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा क्षति का आकलन करते हुये क्षति का सुधार कराया जायेगा तथा इसमें हुए व्यय को ठेकेदार से वसूला जायेगा। (एसबीडी प्रस्तर-33.1)

5- स्टैण्डर्ड बिड डाक्यूमेन्ट (एसबीडी) के प्रस्तर-32.1.2 में वर्णित उक्त प्रक्रिया के अनुपालन में क्षेत्रीय स्तर पर अनेक व्यावहारिक समस्यायें अनुभव की गयी है। जहाँ एक ओर ठेकेदारों को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी सुधारात्मक कार्य नहीं किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर किसी अन्य संस्था से कार्य करा सकने के विकल्प के अभाव में अनुरक्षण कार्य बाधित हो रहे हैं।

6- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क

-3/

योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों का अनुरक्षण निम्नलिखित निर्देशानुसार कराया जाय:-

(1)- निर्मित सड़कों के अनुरक्षण हेतु ठेकेदार को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी यदि ठेकेदार द्वारा अनुरक्षण का कार्य नहीं किया जाता है, तो सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्धकर्ता की धरोहर बैंक गारण्टी/एफडीआर कैश करा ली जायेगी। इसके लिए कारण दर्शाते हुए सक्षम स्तर से एक औचित्य पूर्ण आदेश जारी किया जायेगा।

(2)- उक्त प्रकार से जब्त की गयी धनराशि को उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के खाते में जमा किया जायेगा।

(3)- मूल अनुबन्धकर्ता का अनुबन्ध निरस्त करने के पश्चात् पी0आई0यू0 द्वारा मार्ग के अनुरक्षण हेतु वांछित धनराशि का आंकलन किया जायेगा। उक्त आंकलन दो भागों में किया जायेगा।

<u>प्रथम भाग- (इनीशियल रीहैबिलिटेशन)-</u> क्षतिग्रस्त मार्ग को पूर्व स्थिति में लाने हेतु आवश्यक मदों को चिन्हित करते हुये वांछित धनराशि का आंकलन किया जायेगा। मदों का विस्तृत आगणन (लम्बाईXचौड़ाईX गहराई/ऊंचाई)= मात्राXदर=लागत) के सूत्र पर किया जायेगा। उक्त् के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इनीशियल रीहैबिलिटेशन हेतु आंकलित धनराशि शासनादेश दिनांक-18.08.2005 (यथासमय संशोधनीय) में अनुमन्य धनराशि में अनुरक्षण मद में भुगतान की गयी धनराशि (यदि भुगतान किया गया है) समायोजित करते हुये अवशेष धनराशि से अधिक न हो। उदाहरणस्वरूप यदि निर्माणोपरान्त दो वर्ष का समय व्यतीत हो गया है एवं ठेकेदार द्वारा अनुरक्षण कार्य न करने के कारण मार्ग की क्षति हुई है, तो इन दो वर्षों हेतु शासनादेश दिनांक-18.08.2005 (यथा समय संशोधनीय) में अनुमन्य सीमा तक ही धनराशि देय होगी।

यदि विशेष परिस्थितियों में इनीशियल रीहैबिलिटेशन हेतु आंकलित धनराशि संदर्भित शासनादेश दिनांक-18.08.2005 (यथा समय संशोधनीय) में उक्त अवधि हेतु अनुमन्य धनराशि से अधिक हो, तो अभिकरण द्वारा आधिक्य स्वीकृत करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(1)- इनीशियल रीहैबिलिटेशन की धनराशि सम्बन्धित ठेकेदार की जब्त की गयी जमानत धनराशि तथा अनुबन्ध निरस्त किये जाने की तिथि से विगत वर्षों में अनुरक्षण हेतु अनुमन्य अवशेष धनराशि के योग की सीमा के अन्तर्गत होने पर सम्बन्धित कार्यदायी

-4/

योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों का अनुरक्षण निम्नलिखित निर्देशानुसार कराया जाय:-

(1)- निर्मित सड़कों के अनुरक्षण हेतु ठेकेदार को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी यदि ठेकेदार द्वारा अनुरक्षण का कार्य नहीं किया जाता है, तो सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्धकर्ता की धरोहर बैंक गारण्टी/एफडीआर कैश करा ली जायेगी। इसके लिए कारण दर्शाते हुए सक्षम स्तर से एक औचित्य पूर्ण आदेश जारी किया जायेगा।

(2)- उक्त प्रकार से जब्त की गयी धनराशि को उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के खाते में जमा किया जायेगा।

(3)- मूल अनुबन्धकर्ता का अनुबन्ध निरस्त करने के पश्चात् पी0आई0यू0 द्वारा मार्ग के अनुरक्षण हेतु वांछित धनराशि का आंकलन किया जायेगा। उक्त आंकलन दो भागों में किया जायेगा।

<u>प्रथम भाग- (इनीशियल रीहैबिलिटेशन)-</u> क्षतिग्रस्त मार्ग को पूर्व स्थिति में लाने हेतु आवश्यक मदों को चिन्हित करते हुये वांछित धनराशि का आंकलन किया जायेगा। मदों का विस्तृत आगणन (लम्बाईXचौड़ाईX गहराई/ऊंचाई)= मात्राXदर=लागत) के सूत्र पर किया जायेगा। उक्त् के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इनीशियल रीहैबिलिटेशन हेतु आंकलित धनराशि शासनादेश दिनांक-18.08.2005 (यथासमय संशोधनीय) में अनुमन्य धनराशि में अनुरक्षण मद में भुगतान की गयी धनराशि (यदि भुगतान किया गया है) समायोजित करते हुये अवशेष धनराशि से अधिक न हो। उदाहरणस्वरूप यदि निर्माणोपरान्त दो वर्ष का समय व्यतीत हो गया है एवं ठेकेदार द्वारा अनुरक्षण कार्य न करने के कारण मार्ग की क्षति हुई है, तो इन दो वर्षों हेतु शासनादेश दिनांक-18.08.2005 (यथा समय संशोधनीय) में अनुमन्य सीमा तक ही धनराशि देय होगी।

यदि विशेष परिस्थितियों में इनीशियल रीहैबिलिटेशन हेतु आंकलित धनराशि संदर्भित शासनादेश दिनांक-18.08.2005 (यथा समय संशोधनीय) में उक्त अवधि हेतु अनुमन्य धनराशि से अधिक हो, तो अभिकरण द्वारा आधिक्य स्वीकृत करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(1)- इनीशियल रीहैबिलिटेशन की धनराशि सम्बन्धित ठेकेदार की जब्त की गयीं जमानत धनराशि तथा अनुबन्ध निरस्त किये जाने की तिथि से विगत वर्षों में अनुरक्षण हेतु अनुमन्य अवशेष धनराशि के योग की सीमा के अन्तर्गत होने पर सम्बन्धित कार्यदायी

-4/

संस्था के मुख्य अभियन्ता द्वारा मूल ठेकेदार को पूर्व सूचना देते हुये निविदायें आमंत्रित कर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

(2)- इनीशियल रीहैबिलिटेशन के लिये आगणित धनराशि यदि दोषी ठेकेदार की जब्त की गयी धनराशि एवं बीती अवधि हेतु अनुरक्षण कार्य के लिए अनुमन्य अवशेष धनराशि के योग से अधिक है, तो अभिकरण के स्तर से ऐसे प्रकरणों को अनुमोदित करते हुये अवशेष धनराशि की व्यवस्था प्रदेश स्तर पर अनुरक्षण कार्य में रूचि न लेने के फलस्वरूप अन्य पैकेजों की जब्त की गयी धनराशि से सुनिश्चित की जायेगी।

(3)- यदि आगणन की अतिरिक्त धनराशि सम्बन्धित ठेकेदार की जब्त की गयी जमानत धनराशि, कार्य की बीती हुयी अनुरक्षण अवधि की अवशेष अनुमन्य धनराशि तथा अन्य पैकेजों की जब्त की गयी धनराशि से अधिक है, तो राज्य की निधियों से आवश्यक अवशेष धनराशि उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव अभिकरण द्वारा शासन को प्रेषित किया जायेगा और शासन के निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4)- बिन्दु संख्या-2 व 3 पर वर्णित परिस्थिति उत्पन्न होने पर सम्बन्धित मार्गों के निर्माणाधीन अवस्था में एन0क्यू0एम0 तथा एस0क्यू0एम0 की निरीक्षण टिप्पणियों का राज्य गुणवत्ता समन्वयक द्वारा परीक्षण किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि की अधिकता के कारण दोष पूर्ण निर्माण नहीं है।

बिन्दु संख्या-2 व 3 में वर्णित परिस्थितियाँ उत्पन्न होने की दशा में सम्बन्धित पी0आई0यू0 द्वारा किये गये आंकलन पर अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर अभिकरण को निम्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध करायी जायेगी:-

क्र0 सं0	पैकेज संख्या	अनुबन्ध संख्या	जब्त की गयी धरोहर धनराशि (रू0 लाख)	कार्य समाप्ति के बाद बीत अवधि (दिवस)	बीती अवधि अनुरक्षण निर्धारित करने वाले शासनादेश (यथा समय संशोधनीय) द्वारा अनुरक्षण मद में अनुमन्य धनराशि	अनुरक्षण मद में किया गया भुगतान (यदि भुगतान किया गया हो)	बीती अवधि में अनुमन्य अवशेष धनराशि (6-7)	पी0आई0यू0 द्वारा किये गये आंकलन के अनुरूप इनीशियल रीहैबिलिटेशन मद में वांछित धनराशि (रू0 लाख में)	कालम संख्या (4+8) एवं 9 में अन्तर (4+8)-9	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

द्वितीय भाग- नियमित अनुरक्षण- सम्पर्क मार्गों हेतु निर्माणोपरान्त पाँच वर्ष की अनुरक्षण अवधि के लिये शासनादेश दिनांक-18.08.2005 (यथासमय संशोधनीय) में अनुमन्य धनराशि के

आधार पर अनुरक्षण कार्यों हेतु अवशेष अवधि हेतु कुल अनुमन्य धनराशि को अंकित किया जायेगा। इस हेतु पृथक से बिल ऑफ क्वालिटी नहीं बनायी जायेगी। मार्ग के परफारमेन्स इंडीकेटर अनुरक्षण कार्यों हेतु तैयार किये गये स्टैण्डर्ड बिड डाक्यूमेन्ट में उल्लिखित है, जिसके आधार पर पी0आई0यू0 द्वारा भुगतान किया जायेगा।

7- सम्बन्धित पी0आई0यू0 द्वारा स्थानीय स्तर पर निविदायें आमंत्रित की जायेगी, जिस हेतु पी0आई0यू0 द्वारा अनुरक्षण हेतु यू0पी0आर0आर0डी0ए0 द्वारा अनुमोदित स्टैण्डर्ड बिड डाक्यूमेन्ट का प्रयोग किया जायेगा। किसी एक पैकेज में सम्मिलित समस्त मार्गों के अनुरक्षण हेतु एक ही निविदा आमंत्रित की जायेगी अर्थात, मूल पैकेज में निर्मित समस्त मार्गों के अनुरक्षण हेतु एक ही पैकेज गठित किया जायेगा तथा मूल पैकेज की स्पिलिटिंग मान्य नहीं होगी। अनुरक्षण हेतु इस प्रकार गठित पैकेज का नामकरण मूल पैकेज के नाम के आगे एम लगाकर किया जायेगा। उदाहरण तौर पर यदि मूल पैकेज का नम्बर यू0पी0-9999 है, तो उक्त पैकेज में सम्मिलित सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु आमंत्रित की गयी निविदायें यू0पी0-9999M के नाम से आमंत्रित की जायेंगी। इस प्रकार आमंत्रित निविदाओं पर नियमानुसार अनुबंध गठित कर अभिकरण को सूचित किया जायेगा।

8- उपरोक्तानुसार अनुबंध गठित होने की सूचना प्राप्त होने पर अभिकरण द्वारा अनुरक्षण मद में नवसृजित पैकेज पर पीएमजीएसवाई की प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार सी0सी0एल0 निर्गत की जायेगी।

9- अनुरक्षण मद में आंकलित धनराशि जब्त की गयी धनराशि से अधिक होने की दशा में इस आधिक्य की सूचना कार्यदायी संस्था द्वारा जनपदवार संकलित कर अभिकरण को उपलब्ध करायी जायेगी। अभिकरण स्तर पर समस्त जनपदों में जब्त की गयी धनराशि का संकलन किया जायेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु कितनी अतिरिक्त धनराशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। मार्ग की क्षतिग्रस्तता को ठीक करने एवं मार्ग के निर्माण में व्यय की गयी धनराशि के सदुपयोग हेतु तात्कालिक व्यवस्था के रूप में राज्य सरकार द्वारा शासकीय निधियों से उक्त अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था सुनश्चित की जायेगी, परन्तु अन्ततः इस प्रकार उपलब्ध करायी गयी अतिरिक्त धनराशि दोषी ठेकेदार/ठेकेदारों से भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी और उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

10- अनुरक्षण मद में आमंत्रित निविदाओं पर कोई टेण्डर प्रीमियम देय नहीं होगा।

-6/

11- अनुरक्षण मद में स्वीकृत, जब्त की गयी धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का लेखा-जोखा वित्त नियंत्रक, यू0पी0आर0आर0डी0 द्वारा किया जाय।

उक्त आदेशों का समस्त स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(अरूण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-13/2015/पी-180(1)/अइतीस-9-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 ।
5- मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई), लोक निर्माण विभाग व ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
6- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
8- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
9- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई), लोक निर्माण विभाग व ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
10- समस्त अधिशासी अभियन्ता, (पी0आई0यू0), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उ0प्र0।
11- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव